भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3054

उत्तर देने की तारीख 22 मार्च, 2022

1 चैत्र, 1944 (शक)

खेलों को प्रोत्साहन

3054. श्री सौमित्र खान:

श्रीमती रमा देवी:

श्री अरविंद सावंत:

श्री बी.बी. पाटील:

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

श्री संजय जाधव:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों और युवा मामलों से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और युवा खेलों और खेल अभियान योजना के तहत, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और अस्वीकृत प्रस्तावों का कारण सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावों के विवरण के साथ प्रत्येक प्रस्ताव की लागत और उस पर हुआ व्यय कितना है तथा अब तक, स्वीकृत और कारण सहित अस्वीकृत प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार सहित आज की तारीख के अनुसार केंद्रीय स्तर पर अनुमोदन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस तरह के प्रस्तावों के लंबित होने के कारण वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में देरी होने और इन प्रस्तावों की लागत बढ़ने की संभावना होती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेलों के संवर्धन और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का होता है । केंद्र सरकार इस संबंध में अपनी निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों की पूर्ति करती है, जिन्हें राज्य–वार कार्यान्वित नहीं किया जाता है :

(i) खेलो इंडिया;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता;
(iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
(vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन ।

इन स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।

(ख) भारत सरकार (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) द्वारा "युवा खेल और खेल अभियान स्कीम" नामक कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जाती है ।

(ग) से (छ) : भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर, ये प्रश्न नहीं उठते ।

****